न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/117/2021, रजि0 न0 2021/224

अपीलार्थीः–

सतीश चन्द शर्मा देवीचरण शर्मा श्री भूपसिंह चौधरी का मकान रेटा रोड कठूमर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– **24.08.2021**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित बिन्दुवार सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा अपीलार्थी द्वारा जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/अपील जवाब का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी को उनके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 03.04.2021 में अंकित वांछित बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रकम जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से प्रथम आवेदन से विलग नवीन सूचना (पंचायत समिति मुण्डावर से संबंधित) चाही गई है, जो आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानो के विपरीत है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. प्रस्तुत अपील में प्राप्त जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर